

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 428 TR / 2020-21 सन्
76-17

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

3002/89/01

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई के बारे में
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

05/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती जोवना मधुवा देवी पिता/पति सुधी मधुवा
मौजा जो जो हातु थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या-
... में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 10 / 88-89 के आधार पर दर्ज है।
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के S.C. के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>जो जो हातु</u>	<u>289</u>	<u>51</u>	<u>01</u>	<u>2.00 एनड</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 10/08/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
अड़की।

10/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती पोषण मधुवा
श्री० पिता/प्रति शुद्धी मधुवा मौजा-जो जो हातु थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-जो जो हातु थाना नं०-289 खाता सं०-51
प्लॉट सं०-01 रकबा-2.00 एकड़ लगान रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती है

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनु रूप
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-जो जो हातु
थाना नं०-289 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,
अड़की।